



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136

No: ५८५३ / SEIAA/2015  
Date: ३.८.१९ /

**कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum)**

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की EIA अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय—समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति हेतु MP-SEIAA द्वारा जारी पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 964 /एप्को/ SEIAA/12 दिनांक 27.01.2012, 966 /एप्को/ SEIAA/12 दिनांक 27.01.2012 तथा क्र. 2366 /SEIAA/12 दिनांक 06.02.2013 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. सभी आवेदक पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी एकट के तहत पंजीकृत कंपनी होने पर संस्था के पंजीकरण के अभिलेख की स्वसत्यापित प्रति, तथा ऐसी संस्था की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के संकल्प की प्रति।
2. प्रोजेक्ट स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं, के संबंध में आवेदक द्वारा घोषणा पत्र / शपथ पत्र।
3. आवेदन के साथ कार्यपालन संचालक, एप्को भोपाल के नाम से राशि रु. 5000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Payable at Bhopal)।

अ. खनन गतिविधियों 1(a) से संबंधित

क. — गौण खनिज

माइनिंग के गौण खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा EIA नोटिफिकेशन 14.09.2006 तथा समय—समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रारूप-1 (फार्म-1) में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट [mpseiaa.nic.in](http://mpseiaa.nic.in) के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रिफीजिविलिटी रिपोर्ट (PFR)।
2. ऐसे उत्खनन क्षेत्र जो उन जिलों (Annexure-1) की तहसीलों में स्थित हैं जहाँ अन्तर्राज्यीय सीमा लगती है, वहाँ आवेदक द्वारा माइनिंग क्षेत्र से अन्तर्राज्यीय सीमा की दूसी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोआर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र / शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ)।
4. Registered Qualified Person (RQP) द्वारा तैयार की गई पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP)।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज के स्वीकृति आदेश की नोटराइज्ड प्रति प्रस्तुत करेंगे। लीज स्वीकृति आदेश के साथ में संबंधित कलेक्टर/संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म / सक्षम प्राधिकारी निम्न बिन्दुओं की जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त कर उक्त आदेश में सम्मिलित की जावेगी। यदि लीज आदेश पूर्व का है तो निम्न जानकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - (i) यदि खनिपट्टे से 5 कि.मी. की दूरी में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/इको सेंसेटिव जॉन स्थित है तो उक्त आदेश में उनकी दूरी स्पष्ट करेंगे और नहीं होने की स्थिति में यह भी स्पष्ट करेंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र 5 कि.मी. की दूरी में नहीं है।
  - (ii) खनिपट्टे में कलेक्टर यह भी स्पष्ट करेंगे कि उस खनिपट्टे से वन क्षेत्र कितनी दूर है और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त करेंगे।
  - (iii) खनिपट्टे से 500 मीटर की दूरी पर यदि कोई मानव बसाहट /शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो तो उसकी दूरी।
  - (iv) 500 मीटर के अन्दर कोई जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ नहर स्थित हो तो उसकी दूरी।
  - (v) स्वीकृत खनि पट्टे के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत खनिपट्टा की जानकारी एवं उसका क्षेत्रफल (रेत के प्रकरण में यह दूरी 1000 मीटर रहेगी)।
  - (vi) रेत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम।
6. यदि खनिपट्टा वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति अथवा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज-1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति।
7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं सापट कापी संलग्न की जायेगी।
8. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म 1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

### ख.- मुख्य खनिज

माइनिंग के मुख्य खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा EIA नोटिफिकेशन 14.09.06 तथा समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रारूप-1 (फार्म-1) में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट [mpseiaa.nic.in](http://mpseiaa.nic.in) के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :—

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रिफीजिविलिटी रिपोर्ट (PFR)।

2. ऐसे उत्खनन क्षेत्र जो उन जिलों (Annexure-1) की तहसीलों में स्थित हैं जहाँ अन्तर्राज्यीय सीमा लगती है, वहाँ आवेदक द्वारा माइनिंग क्षेत्र से अन्तर्राज्यीय सीमा की दूरी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोअर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र / शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ)।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज के स्वीकृति के आदेश की नोटराइज़ प्रति प्रस्तुत करेंगे।
5. परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) जैसे नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ टाईगर रिजर्व, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिन्हित इको सेसेटिव जोन की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (वन संरक्षक/ वनमंडलाधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराइज़ प्रति।
6. परियोजना स्थल से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (Critically polluted Area) की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराइज़ प्रति। उक्त जानकारी केवल इंदौर एवं सिंगराँगी जिलों में स्थित प्रकरणों हेतु आवश्यक है।
7. खनिपट्टे से वन क्षेत्र की दूरी और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त करेंगे।
8. यदि खनिपट्टा वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज़ प्रति अथवा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज-1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज़ प्रति।
9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साप्ट कापी संलग्न की जायेगी।
10. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित/ नोटराइज़ प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### ब. भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेंट 8(b) गतिविधियों से संबंधित

EIA नोटिफिकेशन तथा समय-समय पर दिये गये उसके संशोधनों में निर्धारित प्रारूप फार्म-1 तथा फार्म 1A में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट [mpseiaa.nic.in](http://mpseiaa.nic.in) के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :—

1. कनसेप्ट प्लान।
2. आवेदक द्वारा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (क्रमांक F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (Part)) दिनांक 19.06.2013 (Annexure-2) के बिन्दु क्र. III - a से o तक के अनुसार वांछित बिन्दुवार विस्तृत जानकारी संलग्न की जावे।

3. आवेदक द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ले आउट प्लान की प्रति।
4. परियोजना स्थल के भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (सेल/लीज डीड नवीनतम खसरा पंचशाला) की स्वप्रमाणित/नोटराइज़ड प्रति।
5. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत /केन्द्रीय भूजल अथारिटी से जल प्रदाय संबंधी अनुमति।
6. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत से ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/hazardous waste) के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति।
7. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत से Treated waste water के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति।
8. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साफट कापी संलग्न की जायेगी।
9. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित/नोडराइज़ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन रखीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म 1 एवं फार्म 1-A तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

**स. नोटिफिकेशन (EIA) के शोइयूल में वर्णित अन्य सभी गतिविधियों (1(b), 1(c), 1(d) तथा 2 से 7 तक) से संबंधित (खनन गतिविधियों 1(a), भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेक्लपमेंट 8(b) को छोड़कर)**


EIA नोटिफिकेशन तथा समय-समय पर दिये गये उसके संशोधनों में निर्धारित प्रारूप फार्म-1 में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट [mpseiaa.nic.in](http://mpseiaa.nic.in) के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :—

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रीफीजिविलिटी रिपोर्ट (**PFR**)।
2. ऐसे परियोजना स्थल जो उन जिलों (Annexure-1) की तहसीलों में स्थित हैं जहां अन्तर्राज्यीय सीमा लगती है, वहां आवेदक द्वारा परियोजना स्थल से अन्तर्राज्यीय सीमा की दूरी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोऑर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) जैसे नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/टाईगर रिजर्व, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिन्हित इको सेंसेटिव जौन की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराइज़ड प्रति।
4. परियोजना स्थल से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (Critically polluted Area) की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी

- (संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराइज्ड प्रति। उक्त जानकारी केवल इंदौर एवं सिंगरौली जिलों में स्थित प्रकरणों हेतु आवश्यक है।
- 5. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज जैसे खसरा पंचशाला, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश, लीज डीड / एग्रीमेंट की नोटराइज्ड प्रति, यदि परियोजना नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है तो परियोजना स्थल को चिन्हित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के नक्शे की नोटराइज्ड प्रति।
- 6. यदि परियोजना स्थल वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति अथवा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज-1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति।
- 7. नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत / औद्योगिक क्षेत्रीय विकास निगम / केन्द्रीय भूजल अथारिटी से जल प्रदाय संबंधी अनुमति।
- 8. ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/hazardous waste) के व्यवस्थापन (disposal) हेतु अनुमति।
- 9. Treated waste water के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति।
- 10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साप्ट कापी संलग्न की जाये।
- 11. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म 1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु क्र. 2 एवं 3 की जानकारी उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक नहीं हैं जो कि नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं।




(अजातशत्रु श्रीवास्तव)  
सदस्य सचिव, SEIAA

पृ. क्र. /SEIAA/2015

भोपाल दिनांक

1. सभी संबंधित
2. अध्यक्ष / सदस्य SEIAA, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल
3. सभी अधिकारी SEIAA एवं SEAC भोपाल
4. गार्ड फाईल
5. MPSEIAA बेवसाईट



(अजातशत्रु श्रीवास्तव)  
सदस्य सचिव, SEIAA